चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 13.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 13.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 13.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियो के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस टीम ने 03 अभियुक्तों को चोरी के 02 अदद ट्रक के टायर मय रिम,01 अदद चोरी में प्रयोग होने वाली बोलेरो पिकअप, 02 अदद लोहे के जैक,01 टूल बाक्स मय टूल रिंच 04 अदद, के साथ गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.09.2025 को वादी कैसर खान पुत्र अख्तर खान निवासी पावर हाउस के सामने नगर पंचायत मऊ थाना मऊ द्वारा थाना मऊ में सूचना दिया गया कि उनकी गाडी सं0 UP 96T 1658 ट्रक सड़क के किनारे खडा था 10/11.09.2025 की रात 02-03 अज्ञात लोग मेरी ट्रक के पिछले रिम सहित चारो टायर खोलकर बोलेरो पिकअप में लाद रहे थे, आवाज सुनकर मेरी नीद खुल गयी मुझे देखकर अज्ञात तीनो ब्यक्ति दो टायर वही छोडकर दो टायर जो पिकअप में लाद चुके थे लेकर भाग गये।इस सूचना पर मु0अ0सं0 288/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम तीन अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक द्वारा चोरी की घटना के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक मऊ को निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 12.09.2025 को अपराध निरीक्षक श्री अंजनी कुमार सिंह एवं उनकी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दिया कि साहब एक संदिग्ध बोलोरो पिकप सफेद रंग और 02-03 आदमी रात के अंधेरे में हाईटेंशन पोल बिजली खंभे के पास तिलौली वाले रास्ते में रोड के किनारे महुआ के पेड़ के नीचे खड़े हैं। दूर से देखने पर पिकप पर टायर लदे दिख रहे हैं, जो चोरी को हो सकते हैं, यदि जल्दी करें तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास कर मुखबिर को साथ लेकर थाना मऊ पुलिस बताये हुये स्थान पर चल दी जैसे ही हाई टेन्शन बिजली के खंभे से लगभग 50 मीटर पहले पहुँचे कि मुखबिर ने बताया कि साहब महुवा के पेड़ के नीचे वह सफेद रंग की पिकप दिखायी पड़ रही है वही सभी है और दिखाकर वाहन से उतर कर चला गया। पुलिस द्वारा अपने वाहन से उतरकर वाहन वहीं खड़ा करके छुपते छिपाते उक्त पिकअप की ओर चल दिये। कुछ दूर पहुँचने के बाद हम पुलिस वाले अपनी प्राइवेट टार्च एकाएक जला कर तेजी से गाड़ी के चारो तरफ घेर लिये तो पुलिस वालो को देखकर पिकप के केबिन मे बैठे तीनो व्यक्ति पिकप से उतरकर भागने का प्रयास किये कि हम पुलिसवाले आवश्यक बल प्रयोग कर तीनो व्यक्तियों को गाड़ी पिकप के साथ ही समय करीब 23.10 बजे पकड़ लिया। पकड़े व्यक्तियों का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी बारी बारी ली गयी तो पहले ने जो चालक सीट की तरफ से उतरा था, अपना नाम संगम लाल S/O दयाशंकर निवासी कुकुड़ी थाना माण्डा जनपद प्रयागराज उम्र करीब 37 वर्ष बताते हुये बताया कि साहब हम लोग ट्रको के टायर चोरी करते हैं, मैं गाड़ी चलाता हूँ। इस गाड़ी मे चोरी के 02 टायर मय रिम सहित हैं, जिनको बेचने के लिये जा रहे थे कि पुलिस को देखकर भागना चाहा कि पकड़ा गया है। जामा तलाशी ली गयी तो, पहने हुये पैण्ट की जेब से 500 रुपये की 01 नोट मिली। दूसरे ने अपना नाम दीपक गौतम S/O स्व0 सन्तलाल R/O रामपुर थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज उम्र करीब 30 वर्ष बताया। कड़ाई से पूछने पर बताया कि साहब मैं इस पिकअप का मालिक हूँ और मेरे अगुवाई में ट्रकों से रात मे हम तीनो लोग टायर खोल कर चोरी कर लेते हैं। इस पिकअप मे मऊ कस्बा मे चोरी किया गया 02 ट्रक के टायर मय रिम हैं, इस लिये एकाएक पुलिस को देखकर हम लोग भागना चाहते थे कि साहब पकड़ लिये गये हैं। हमराही के सहयोग से जामा तलाशी लिवायी गयी तो पहने हुये पैण्ट के बाई जेब से 500/- के 02 नोट कुल 1000/- रुपये बरामद हुये। तीसरे ने

अपना नाम गोली उर्फ गोलू उर्फ दीपक कुशवाहा S/O विध्यांचल कुशवाहा निवासी मुंगारी रामपुर थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज उम्र करीब 22 वर्ष बताया। बताया कि साहब हम तीनो आदमी मिलकर सड़क के किनारे खड़ी ट्रको का टायर खोलकर पिकप पर लादकर चोरी करके बेचते हैं। दिनांक 10/11.9.2025 की रात मे हम तीनो लोग मिलकर कस्बा मऊ में खड़ी ट्रक का चार टायर मय रिम खोल लिये थे और 02 टायर लाद लिये थे, 02 टायर लादना था कि घर वाले जान गये और हम लोग 02 टायर लेकर पिकप से भाग गये थे और वही टायर इस पिकप मे लदा है, इसलिये पुलिस को देखकर हम लोग भागने के प्रयास किये कि आप लोगो नें पकड़ लिये। पुनः तीनो से कड़ाई से पूछा गया तो बताये कि साहब पिकप में हम लोग टायर खोलने के टूल व जैक रखे हैं। इन्ही का प्रयोग करके हम खड़ी ट्रकों से टायर खोल कर चोरी करते हैं। दिनांक 10/11.9.2025 को रात मे कस्बा मऊ में एक ट्रक से 02 टायर चोरी किये थे वही टायर पिकप मे लदा है। इस पर पिकप के केबिने को देखा गया और पिकप के चारो तरफ से देखा गया तो पिकप के आगे नंबर प्लेट पर UP 70 LT 1945 व पीछे भी यही नंबर लिखा है। सफेद रंग की पिकप है। डाला में 02 अदद टायर मय रिम लदा है। टार्च की रोशनी से प्रथम टायर को देखा गया तो KAIZENKZ-50L व T0651603721 अंकित है। द्वितीय टायर पर MRF-M-77, 182399-D अंकित है। पिकप के केबिन में 02 अदद लोहे के जैक बड़े इस्तेमाली और एक केशरिया रंग के टूलबाक्स जो प्लास्टिक का है, के अन्द 04 अदद बडे रिंच व टूल इस्तेमाली मौजूद हैं। वादी मुकदमा को जरिये उचित माध्यम मौके पर बुलाया गया तो पिकप पर लदे टायर को देखर कर बताया कि साहब यही टायर मेरे गाड़ी के हैं। यह इत्मीनान होने पर कि यह चोरी के टायर उपरोक्त मुकदमें से सम्बन्धित हैं। इस पर कारण गिरफ्तारी बताते दिनांक 12.09.2025 को समय करीब 21.10 बजे उपरोक्त लोगों को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. संगम लाल S/O दयाशंकर निवासी कुकुड़ी थाना माण्डा जनपद प्रयागराज
2. दीपक गौतम S/O स्व0 सन्तलाल R/O रामपुर थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज
3. गोली उर्फ गोलू उर्फ दीपक कुशवाहा S/O विध्यांचल कुशवाहा निवासी मुंगारी रामपुर थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज

बरामदगी-

1. 02 अदद ट्रक के टायर मय रिम
2. 01 अदद बोलेरो पिकअप
3. 02 अदद लोहे के जैक
4. 01 टूल बाक्स मय टूल रिंच 04 अदद
5. 1500-/ रुपयें

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. अपराध निरीक्षक थाना मऊ श्री अंजनी कुमार सिंह
2. व0उ0नि0 श्री सूबेदार बिन्द
3. उ0नि0 श्री मुन्नीलाल
4. आरक्षी राकेश कुमार

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष सरधुवा श्री रामसिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 चन्द्रमणि पाण्डेय व उनकी टीम ने गैर-इरादतन हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 01.08.2025 को वादी श्री अरविन्द पुत्र कीरत रैदास निवासी लमियारी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट ने थाना सरधुवा में सूचना दी कि अभियुक्त सुरेन्द्र रैदास पुत्र अज्ञात,संदीप,रंजीत, अभिजीत पुत्रगण सुरेन्द्र रैदास निवासी लमियारी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट के द्वारा उनके पिता कीरत रैदास के साथ लाठी डंडो से मारपीट कर गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देना जिससे उनके पिता के सिर ,वायी आंख व नाक पर गंभीर चोट आना। इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 109/25 धारा 110,352,351(3) बीएनएस बनाम सुरेन्द्र रैदास पुत्र अज्ञात,संदीप,रंजीत, अभिजीत पुत्रगण सुरेन्द्र रैदास निवासी लमियारी थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया। दौराने इलाज दिनांक 08.08.2025 को आवेदक के पिता कीरत उपरोक्त की मृत्यु हो गयी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 02.09.2025 को मुकदमा उपरोक्त में धारा 110 बीएनएस का लोप करते हुये धारा 105 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। मुकदमा उपरोक्त से सम्वन्धित 02 अभियुक्त 1.संदीप ,रंजीत पुत्रगण सुरेन्द्र कुमार रैदास को आज दिनांक 13.09.2025 को समय दोपहर 02.10 बजे मुखविर की सूचना पर उ0नि0 चन्द्रमणि पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा

2.आरक्षी सतीश कुमार

3.आरक्षी नागेश कुमार गुप्ता

(6). आज दिनाँक 13.09.025 को शासन की मनसा अनुरूप जन समस्याओं को त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी०एन० व पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में कोतवाली कर्वी में समाधान दिवस का आयोजन किया गया।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों से संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित स्थलीय निरीक्षण कर शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित करें साथ ही कहा कि जमीन संबंधित समस्या को पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर स्थलीय निरीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण कराया जाए।

समाधान दिवस में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह उपस्थित रहें।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपराध पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना पहाड़ी,थाना राजापुर व एसओजी की संयुक्त टीम ने लूट के वांछित,बांदा के गैंगस्टर अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया।

संक्षित विवरण-

➡ बीती रात मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना पहाड़ी क्षेत्रांतर्गत ग्राम बकटा बुजुर्ग के पास बदमाशों का मूवमेंट है,सूचना पर समय लगभग 03.00 बजे त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना पहाड़ी पुलिस,थाना राजापुर एवं SOG की संयुक्त टीम बकटा रोड़ पहुँची जहां संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा रुकने हेतु ललकारने पर संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस गाड़ी पर फायर कर दिया तथा भागने का प्रयास किया। आत्मरक्षार्थ की गई पुलिस कार्यवाही में

अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गया। घायल अभियुक्त को तत्काल इलाज हेतु सीएचसी पहाड़ी ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। अभियुक्त की पहचान राजेन्द्र यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी कमासिन थाना कमासिन जनपद बांदा के रूप में हुई है, जो गैंगस्टर एक्ट सहित कई संगीन मामलों का आरोपी है।

मौके से अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी-

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 03 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
3. 01 अदद खोखा कारतूस
4. 4000 रुपए
5. एक बैग

अभियुक्त राजेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 92/11 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कमासिन जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 22/11 धारा 109/41 भादवि0 थाना बबेरु जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 169/17 धारा 379 भादवि0 थाना अतर्रा जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 112/17 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिरवा जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0 3/18 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गिरवा जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0 168/24 धारा 115(2),351(3), 352 बीएनएस थाना कमासिन जनपद बांदा।
7. मु0अ0सं0 554/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।
8. मु0अ0सं0 162/25 धारा 309(4),317(2) बीएनएस थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट।
9. मु0अ0सं0 163/25 धारा 307 बीएनएस,3/25 आर्म्स एक्ट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट।

पूंछताछ में अभियुक्त ने थाना पहाड़ी क्षेत्रांतर्गत दिनांक 11.09.2025 को घटित एक लूट की घटना में संलिप्त होना कबूल किया है।

जिस सम्बन्ध में थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 162/25 धारा 309(4),317(2) बीएनएस बनाम दो अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत है, विवेचना से प्रकाश में आए एक अभियुक्त राहुल यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी कस्बा व थाना कमासिन जनपद बांदा को दिनांक 12.09.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है,जिससे घटना में लूटा गया माल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी है।

पूंछताछ में उसने घटना में शामिल दूसरे अभियुक्त राजेन्द्र यादव पुत्र मुन्ना यादव निवासी कमासिन थाना कमासिन जनपद बांदा का नाम बताया था।

अभियुक्त राहुल यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 6/21 धारा 41,411,413,414,420,467,468 बीएनएस थाना बबेरु जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 162/25 धारा 309(4),317(2) बीएनएस थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट।